

नम्बर व अहकाम 19 हुकम की में जारी

पत्रावली प्रस्तुत। वादी वकील व वादी अनुपस्थित। वादी व वादी वकील को लकड़कर न्यायालय सभ्य में लीन थार आवाज लगाई गई लेकिन आवाज लगाने के बावजूद भी न्यायालय सभ्य में वादी व वादी वकील अनुपस्थित आये। वादी वकील को सम्मन। तलवाना भ्रकर प्रस्तुत करने बावत भी आदेशित किया गया। आदेशित किये जाने के बावजूद भी सम्मन तलवाना भ्रकर प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः वादी वकील व वादी के अनुपस्थित रहने एवं सम्मन तलवाना भ्रकर प्रस्तुत नहीं करने के कारण वाद वादी अदम एजरी व अदम पैरबी खारिज किया जाता है।

पत्रावली तदनुसार फ़ैसल सुमार लेकर वाद लकड़ील नम्बर से कम लेकर दारखिल इफ्तार को निर्णय सुनाया गया।

(मौनिका कलारा)  
सहायक आयुक्त उपनिवेश  
प्रथम बौकानेर

Handwritten notes on the left margin, including a signature and some illegible text.